बैठक की कार्यवाही

बैठक की तारीख : 22 जुलाई, 2019

स्थान : अनुश्रवण कोषांग, मुख्य सचिव कार्यालय

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पटना की यातायात समस्या, ड्रेनेज, जलजमाव, अतिक्रमण, वेंडिंग ज़ोन एवं अन्य सम्बंधित मामलों पर सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्बंधित विभाग के पदाधिकारियों की बैठक ।

बैठक में लिए गए निर्णय :-

- अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थानों के पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बंधित थाना प्रभारी को जिम्मेवार ठहरा कर कार्रवाई किया जायेगा।

- जिलाधिकारी पटना एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा नियमित अन्तराल पर अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जाये ।

- आर.एन. सिंह मोड़ चंदा ऑटोमोबाइल के बगल से तिवारी बेचर के बगल वाली रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है ।

- समय-समय पर प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं डी.आई.जी शहर का भ्रमण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान पुनः अतिक्रमित नहीं किये जायें। यदि ऐसा पाया जाता है तो वे सम्बंधित पदाधिकारियों को उचित निदेश देंगे।

- यदि संभव हो तो अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थानों में पौधारोपण कराया जाए। इसके साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराने वाली टीम के साथ सभी सम्बंधित विभाग के एक्सपर्ट शामिल हों एवं शाम को बैठक कर अतिक्रमण मुक्त किये गए स्थल के समुचित उपयोग व विकास की योजना तैयार कर उसपर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करायें ताकि उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो सके।

- पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया है कि उनके पास फूलों के भारी गमले हैं। ऐसे गमलों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थानों पर रखा जाए जिससे उन पर पुनः कब्ज़ा होने की संभावना न रहे।

- फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधा बनायी जाये । प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि फ्लाईओवर के नीचे के स्थानों को अगले सोमवार तक साफ कर दिया जायेगा। पार्किंग का संचालन पथ निर्माण विभाग द्वारा ex-Serviceman से कराया जायेगा। पार्किंग हेतु दर नगर निगम द्वारा अन्य स्थानों पर निर्धारित दर के अनुसार होगा।

- नगर आयुक्त, पटना द्वारा बताया गया कि शहर में वेंडिंग ज़ोन को चिन्हित कर लिया गया है तथा चिन्हित वेंडरो को आई कार्ड एक सप्ताह के अंदर वितरित कर दिया जायेगा।

- राजा बाजार, बोरिंग रोड एवं ओल्ड बाईपास में जाम की समस्या को कम करने के लिए जहां भी संभव हो मार्गों को वन-वे करने की संभावना पर कार्य किया जाना है।

- आशियाना मोड़ पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए चढ़ने व उतरने के लिए स्लिप-वे के निर्माण की सम्भावना पर चर्चा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किया जाए।

- पथ निर्माण विभाग अपने अधीन रोड पर फुटपाथ-वे बना रहा है। शेष अन्य रोड, जो पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं हैं, पर भी पथ निर्माण विभाग एवं नगर निगम, पटना फुटपाथ-वे का निर्माण करने हेतु कार्य योजना बनायें।

- पटना शहर में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन निर्धारित कर अधिसूचित किया जाए तथा वहां पर नो पार्किंग/नो वेंडिंग ज़ोन का बोर्ड लगाया जाए।

- GAIL एवं अन्य एजेंसियों द्वारा बिना NOC लिए कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण कई बार रोड काट दिया जाता है परंतु उसका Restoration नहीं किया जा रहा है। प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग ऐसी एजेंसियों के साथ बैठक कर तत्काल ऐसी सभी जगहों का Restoration सुनिश्चित करायेंगे।

- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा सभी विभागों से सूचना व एक्शन प्लान लेकर PPT तैयार किया जाएगा एवं विद्वान महाधिवक्ता से संपर्क कर माननीय उच्च न्यायालय में उक्त PPT के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

23/7/2015

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक - 04/न०वि० -02/15 2039 / पटना, दिनांक - 25/7/15

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जोनल आई०जी०,पटना/डी०आई०जी०,पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/ नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/2015

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना